

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम
(नियम 26)

चैनु बनाम असर खां वगै०

तारीख
हुक्म

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

बाद - धारा 188 राजस्थान काश्तकारा अधिनियम

बाद संख्या 130/ - वर्ष 2024

नम्बर व तारीख

अहकामे जां इरा हुक्म
को तारीख में जारी हुए

11.06.2024

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित हैं को सुना गया। परस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए०डी० के नोटिस तलबान पेश करें। पत्रावली 09-07-2024 को पेश हो।

09/07/24

आज पत्रावली पेश हुई।.....उपस्थित।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते.....

में दिनांक.....को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

तिजारा (खैरथल-तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

14/10/24

आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगन किया है। अतः पत्रावली दिनांक 20/10/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

28/01/2025

आज पत्रावली पेश हुई। अर्वाजे लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने पर वादी/वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः बाद अदम हाजरी/अदम पेशों में जारी किया जाकर, पत्रावली बाद निर्णय तकमील नम्बर से काम होकर दाखिल दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा राज०